
 सत्यमेव जयते	कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) – द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E)-II, UTTAR PRADESH, PRAYAGRAJ	 SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA लोकार्थिका संस्था Dedicated to Truth in Public Interest
---	--	---

पत्रांक:- नि0 वि0-2/पेंशन अधिवर्षता से0 नि0/03/
08/2024

दिनांक:-

शुद्धि पत्र

निर्गत कार्यालय आदेश दिनांक 27-06-2024 के क्रमांक संख्या 17 पर उल्लेखित अधिकारी के सापेक्ष शासकीय सेवा 60 वर्ष की अधिवर्षता आयु प्राप्त करने के उपरान्त उनके नाम के सम्मुख लिखित तिथि को निम्नानुसार पढ़ा जाये:

क्रम संख्या	व्यक्तिगत संख्या	नाम	पद	जन्म तिथि	सेवानिवृत्त तिथि
1	1096	SARVA DEO	DAO-I	12-01-1967	31-01-2027

- संबन्धित आहरण एवं वितरण अधिकारी/अधिशारी अभियंता/कार्य अधीक्षकों आदि से अपेक्षा की जाती है कि उनके खंड/कार्यालय में नियुक्त खंडीय लेखाकार/ खंडीय लेखाधिकारी की सेवा पुस्तिका में जन्म तिथि को सम्यक रूप से जांच करके देख लें और उक्त सूची के अतिरिक्त अन्य कोई खंडीय लेखाधिकारी माह अगस्त-2026 से जुलाई 2028 तक 60 वर्ष आयु पूरी कर रहा हो तो इसकी सूचना पंजीकृत डाक से अधोहस्ताक्षरी को शीघ्र प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
- उपरोक्त सूची में वर्णित नाम का खंडीय लेखाधिकारी यदि उनके खंड कार्यालय में नियुक्त है तो उनकी सेवा पुस्तिका में अंकित जन्म तिथि का मिलान सूची में अंकित जन्म तिथि से कर लें तथा याय कोई अंतर प्रकाश में आए तो उसकी सूचना अधोहस्ताक्षरी को तत्काल भेजना सुनिश्चित करें।
- सेवा निवृत्त होने वाले खंडीय लेखाधिकारियों के पेंशन प्रपत्र इस कार्यालय द्वारा भेजे जाएँगे जिसे तीन प्रतियों में वांछित विवरण भरकर सेवा पुस्तिका सहित इस कार्यालय को भेजना आवश्यक है।
- सेवा निवृत्त होने वाले खंडीय लेखाधिकारियों की सेवा पुस्तिका का सत्यापन प्राथमिकता के आधार पर समय से कर लिया जाये तथा पेंशन प्रकरण सेवा निवृत्ति से 60 माह पूर्व इस कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित किया जाये। प्रकरण बिलंब से अथवा अपूर्ण भेजने पर सेवानिवृत्तिक लाभों के निस्तारण में बिलम्ब होगा।
- किसी भी स्थिति में अवकाश नगदीकरण, अनन्तितम पेंशन, उपादान का भुगतान इस कार्यालय कि स्वीकृति के बिना न किया जाये।
- सेवा निवृत्ति के दिन खंडीय लेखाधिकारियों से इस कार्यालय द्वारा जारी परिचय पत्र प्राप्त कर इस कार्यालय को प्रेषित करने की व्यवस्था करें।

उपमहालेखाकार/डी0 ए0 सी0 सी0

पत्रांक:- नि0 वि0-2/पेंशन अधिवर्षता से0 नि0/03/

तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- श्री सर्व देव, खंडीय लेखाधिकारी, व्यक्तिगत संख्या 1096 को इस आशय से प्रेषित कि अपना पेंशन प्रपत्र पूर्ण कर सेवा निवृत्ति के छः माह पूर्व इस कार्यालय को तीन प्रतियों में अधिशारी अभियंता के माध्यम से भेजें।
- अधिशारी अभियंता/कार्य अधीक्षक को वैबसाइट के माध्यम से ।
- वरिष्ठ लेखाधिकारी/कम्प्यूटर प्रकोष्ठ को वैबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

वरिष्ठ लेखाधिकारी/नि0वि-2